

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक

হাষাক Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

RAJASTHAN GAZETTE

कार्तिक 12, गुरुवार, शाके 1933—नवम्बर 3, 2011 Kartika 12, Thursday ,Saka 1933—November 3, 2011

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

पर्यावरण विभाग अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2011

एस. ओ. 112 :— यतः भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण को और वन्य जीव विभाग) हारा पर्यावरण (सरक्षण) नियम, 1986 के नियन 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 29) की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस.ओ. 152 (ई) दिनांक 10—02—1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना का प्रारूप राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ और आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करते हुए सं. एफ. 8 (1) पर्या/99/पार्ट. दिनांक 22—06—2011 द्वारा राजस्थान के राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित किया गया था।

और यतः ऊपर वर्णित अधिसूचना के प्रारूप के जवाब में उक्त कालावधि के भीतर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस.ओ. 152 (ई). दिनांक 10–02–1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 8 (1)पर्या/99/पार्ट, दिनांक 21–07–2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 8 (1) पर्या / 99 / पार्ट, दिनांक 21 जुलाई, 2010 के स्पष्टीकरण में, विद्यमान अभिव्यक्ति '' प्लास्टिक विनिर्माण, विक्रय और उपयोग नियम, 1999" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 8 (1)पर्या / 99 / पार्ट]

राज्यपाल के आदेश से, डॉ. वी.एस. सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव।

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT Notification Jaipur, October 31, 2011

S.O. 112.- Whereas, a draft notification, in exercise of powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986), delegated to the State Government by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife). by it's Notification No.S.O.152 (E) dated 10-2-1988, issued under section 23 of the said Act, read with rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, was published in the extra-ordinary gazette of Rajasthan vide no. F.8(1)Env/99-Pt dated 22-6-11 for information of all persons likely to be affected thereby and inviting objections/suggestions within a period of 30 days from the date of publication of the said Notification in the Official Gazette;

And whereas, no objection or suggestion was received within the said period in response to the above mentioned draft notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986), delegated to the State Government of Rajasthan by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife), by it's Notification No. S.O.152 (E) dated 10-2-1988, issued under section 23 of the said Act, the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification No. F.8(1)Env/99-Pt dated 21 July 2010, namely:-

Amendment

In explanation of this department's notification number F.8(1)Env/99-Pt. dated 21 July 2010, for the existing expression

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, नवम्बर 3, 2011 161 (3)

"the Plastics Manufacture, Sale and Usage Rules, 1999", the expression "the Plastic Waste (Management and Handling) Rules 2011" shall be substituted.

[No. F.8(1)Env/99Pt]

By Order of Governor, Dr. V.S. Singh, Addl. Chief Secretary, Environment.

Government Central Press, Jaipur.